

प्रेषक

प्रीतम सिंह
प्रमुख सचिव

सेवा में

महानिरीक्षक निबन्धन
उ0प्र0, शिविर कार्यालय,
लखनऊ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक: 29 नवम्बर, 2006

विषय:- स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग में अपर महानिरीक्षक निबन्धन/अपर आयुक्त स्टाम्प (विभागीय), उप महानिरीक्षक निबन्धन/उपायुक्त स्टाम्प, सहायक महानिरीक्षक निबन्धन/ सहायक आयुक्त स्टाम्प तथा उपनिबन्धक संवर्ग का वेतनमान संशोधित/उच्चीकृत किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिरीक्षक निबन्धन के पत्र संख्या-1230/सांख्यिकी/शि0का0लख0/06 दिनांक 18.09.2006 के सन्दर्भ मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग के संवर्ग पुर्नगठन के सम्बन्ध में मुख्य सचिव समिति द्वारा की गयी संस्तुतियां पर लिये गये निर्णय के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय तात्कालिक प्रभाव से निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित पदों का कालम-3 में इंगित वेतनमान कालम-4 में उल्लिखित वेतनमान के रूप में शासनादेश जारी होने की तिथि से संशोधित/उच्चीकृत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

क्रम संख्या	पद नाम	वर्तमान वेतनमान	संशोधित/उच्चीकृत वेतनमान
1	2	3	4
1.	अपर महानिरीक्षक निबन्धन/ अपर आयुक्त स्टाम्प(विभागीय)	12000-16500	14300-400-18300
2.	उप महानिरीक्षक निबन्धन/ उपायुक्त स्टाम्प	10000-15200	12000-375-16500
3.	सहायक महानिरीक्षक निबन्धन/ सहायक आयुक्त स्टाम्प	8000-13500	10000-325-15200
4.	उपनिबन्धक	6500-10500	8000-275-13500

			<p>सदर कार्यालयों तथा उन कार्यालयों जिनका राजस्व वित्तीय वर्ष 2005-06 में रू0 9.5 करोड़ का है, के चिन्हित 120 पदों पर ज्येष्ठता के आधार पर।</p> <p>शेष पदों के लिये वेतनमान रू0 6500-10500 यथावत रहेगा</p>
--	--	--	--

उपर्युक्तानुसार संवर्गीय पुर्नगठन के फलस्वरूप शासनादेश निर्गत होने की तिथि से उच्चिकृत वेतनमानों में आने वाले पदधारकों का वेतन निर्धारण सामान्य नियमों (वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 के मूल नियम 22 में उपनियम-क(दो) के उपखण्ड (ग) के अन्तगत किया जायेगा। शासनादेश निर्गत होने की तिथि के बाद उक्त वेतनमानों में नियमावली के प्राविधानों के अनुसार वेतन निर्धारण लागू सामान्य नियमों के अनुसार किया जायेगा।

3-उपरोक्तानुसार संवर्गीय सेवा नियमावली में आवश्यक व्यवस्था तत्काल कर ली जाय।

4-यह आदेश वित्त विभाग (वेतन आयोग) अनुभाग-1 के अशासकीय संख्या-वे0आ0-1-642/दस-2006 दिनांक 21.11.2006 तै प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
ह0/-
(प्रीतम सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या: क0नि0-5-3964(1)/11-2006 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार(प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2(तीन-तीन प्रतियों में)
- 4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
- 5- कार्मिक अनुभाग-1/2
- 6- गार्ड फाइल

आज्ञा से
(चन्द्र प्रकाश मिश्र)
विशेष सचिव।